कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:– शिविरा–मा/माध्य/शालादर्पण/60304/2018/133　　　　दिनांक :– 21.6.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,　　　　　　　　　　　　　अति– आवश्यक
माध्यमिक शिक्षा, प्रथम/द्वितीय

विषयः– सत्र 2018–19 में क्षेत्राधिकार में नवक्रमौन्नत विद्यालयों को शालादर्पण पर अपडेट करवाए जाने बाबत।

प्रसंगः– **रामाशिप जयपुर का पत्रांक रामाशिअ/जय/शालादर्पण/2018/230 दिनांक 15.6.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक** शिविरा–मा/माध्य/शालादर्पण /60304 /2018/45 दिनांक :– 01.05.18 एवं सम/97 दिनांक 7.6.18

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में लेख है कि वर्तमान में राउप्रा विद्यालय को माध्यमिक स्तर में एवं रा.मा.विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है जिन्हे शालादर्पण पर अपडेशन करने बाबत पूर्व में निर्देश जारी किए जा चुके है। उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों को शालादर्पण पर जोडे जाने की जांच जिला शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर दिखाई जा रही रिपोर्ट "कक्षा श्रेणी वार विद्यालयों की संख्या" से करें। विद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना के गलत होने पर सम्बन्धित संस्था प्रधान से विद्यालय प्रोफाईल अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रोफाईल अपडेट हेतु ईमेल –rmsaccr@gmail.com (संपर्क नम्बर 0141-2700872) पर मेल कर विद्यालय प्रोफाईल अनलॉक करवाकर विद्यालय प्रोफाईल में विद्यालय का नाम, कक्षा स्तर तथा संकाय एवं वैकल्पिक विषय इत्यादि अपडेट करावें।

यदि कोई नवक्रमौन्नत विद्यालय शालादर्पण पर दर्ज होने से वंचित अथवा गलत दर्ज हो गया है तो उसे तुरन्त शाला दर्पण अनुभाग बीकानेर की मेल आई डी bikanersd@gmail.com पर ईमेल/पत्र के माध्यम से सूचित करते हुए संशोधन करवाना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय का आदेशांक शिविरा–मा/माध्य/अ–I/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2017–18 दिनांक 10.5.18 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा समायोजन आदेश के उपरान्त ही 3ए में प्रविष्टि की जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् अति0 राज्य परियोजना, निदेशक रामाशिप जयपुर ।
3. प्रभारी, शालादर्पण प्रकोष्ठ जयपुर को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिलों में प्रभावी प्रबोधन करें।
5. स्टाफ आफिसर कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

E:\GOVIND GEN.LETTER

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक प0 11(1)शिक्षा–1/2015, जयपुर दिनांक–20.12.17, 21.03.18, आदेश कमांक प.4(6)शिक्षा–1/2016 पार्ट जयपुर दिनांक– 02.04.18 एवं आदेश कमांक प0 11(1)शिक्षा–1/2015, जयपुर दिनांक– 20.04.18 के द्वारा 27+175+225+147+28= 602 राउप्रावि को रामावि में कमौन्नत किया गया था। जिसके कम में इस कार्यालय द्वारा पदो के आवंटन संबंधी आदेश जारी किये जा चुके है। इन नवकमौन्नत विद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार के आदेशो की पालना में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

- राउप्रावि से रामावि में कमौन्नत किये जाने पर विद्यालय में वर्तमान कार्यरत प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सामयोजित किया जायेगा। इसी प्रकार राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शा0शिक्षक ग्रेड–III को कमौन्नत रामावि के शा0शिक्षक के पद सामयोजित किया जायेगा।
- कमौन्नत होने वाली राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड–III लेवल–1 व लेवल–2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सेटअप परिवर्तन हो चुका है,उनका सामयोजन नवकमौन्नत रामावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड–III लेवल–1 व लेवल–2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6डी की कार्यवाही होने तक अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक कमौन्नत विद्यालय में ही कार्यरत रहेगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से किया जायेगा।

10/5/18
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कमांक–शिविरा–मा/माध्य/अ–I/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2017–18 दिनांक:– 10/05/18

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. अनुभाग अधिकारी–संस्थापन ए/बी, संस्थापन सी–1/सी–2/सी–3/सी–4, संस्थापन एफ अनु.।
5. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग।
6. अनुभाग अधिकारी– शाला दर्पण कार्यालय हाजा।
7. अनुभाग अधिकारी– योजना, सा0प्र0अ0,
8. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा,
10. रक्षित पत्रावली।

10/5/18
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)